झारखण्ड सरकार

कार्यालय
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखंड)
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
निर्धन, अंपग, विधवा, भूमिहीन, निःसहाय्य वृद्ध एवं भिक्षुकों के लिए मुफ्त कम्बल वितरण हेतु आपूर्तिकर्त्ता से मुहरबंद निविदा आमंत्रित करने हेतु शर्त्ते :–

1. निविदा दिनांक 13:2:17 के 12:00 बजे अपराह्न तक दुमका समाहरणालय सामाजिक सुरक्षा कोषांग में उपलब्ध निविदा पेटी में डाला जायेगा एवं दिनांक 13:2:17 के 3:00 बजे अपराह्न में निविदाताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अथवा किसी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं क्रय समिति के सदस्य के द्वारा निविदा खोलकर इस पर निर्णय लिया जायेगा।
2. निविदादाताओं को निविदा को मुहरबंद लिफाफे में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, दुमका के पदनाम से 75,000/–(पचहत्तर हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
3. निविदादाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में दो मुहरबंद लिफाफा अलग–अलग सीलबंद करके पुनः एक लिफाफा में रखकर देना होगा, तकनीकी निविदा की सभी शर्तो को पुरा करने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। लिफाफा का पद्धति को पूरा न करने वाले निविदादाता की निविदा को रद्ध कर दिया जायेगा।
4. तकनीकि निविदा लिफाफा में निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2016–17 की अद्यतन आयकर रिटर्न, फर्म का निबंधन प्रमाण–पत्र, वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण–पत्र, की छाया प्रति संलग्न करनी होगी एवं किसी भी जिला में काली सूची में दर्ज नही रहने संबंधी स्वधोषणा पत्र संलग्न करना होगा। निविदा में कम्बल का वजन न्यूनतम 2.00 किलोग्राम होना अनिवार्य होगा। कम्बल का साईज 90''X 60'' होगा तथा प्रति अद्द का निर्धारित मूल्य 300/–(तीन सौ) रूपये से अधिक नही होगी।
5. आपूर्तिकर्त्ता को सभी कम्बलों में झारखंड सरकार, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का लोगो (Logo) लगवाना अनिवार्य होगा।
6. निविदा प्रस्तुति/स्वीकृति के उपरांत जाली/असत्य दस्तावेज पाये जाने पर अथवा निविदा की शर्त्तों का उल्लधंन करने पर स्वीकृत निविदा को निरस्त किया जा सकता है तथा निविदा के साथ जमा अग्रधन/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. वित्तीय निविदा लिफाफा में निविदादाता द्वारा मात्र एक ही दर देना है तथा निविदा खोलने के समय उत्कृष्ठ नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसको क्रय समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा जायेगा।
8. उत्कृष्ठ ब्रांड का कम्बल का निविदा यदि सस्ती दर पर अंकित होगा तो उसको प्राथमिकता दी जायेगी। आवश्यकता अनुसार कार्यहित में एक से ज्यादा नमुना स्वीकृत करते हुए एक से ज्यादा आपूत्तिकत्ताओं के बीच कार्यदेश निर्गत किया जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
9. कम्बलों की आपूर्ति दुमका जिले के सभी प्रखंडों में करनी होगी। जिसके लिए कोई अन्य शुल्क/परिवहन व्यय देय नही होगा। कम्बलों की आपूर्ति हेतु अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
10. आपूर्तिकर्त्ता आपूर्ति आदेश मिलने के एक सप्ताह के अन्दर कम्बलों की आपूर्ति करना होगा एवं निश्चित समय पर आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में उनके प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा संस्था को काली सूची में डाला दिया जायेगा।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

ह०

उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक– 206 /सा0सु0, दुमका, दिनांक 04.02.17

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सर्म्पक विभाग, झारखंड, राँची/सूचना एवं जन सर्म्पक पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा का प्रकाशन सभी प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि निविदा की शर्त्तो को जिला वेबसाईट www.dumka.nic.in पर upload करें।

प्रतिलिपि :– सरकार के सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rahul

उपायुक्त,
दुमका।

C:\Users\prashant\Desktop\Kambal Niweda.doc 0